



वार्षिक प्रतिवेदन

पशुपालन विभाग
हिमाचल प्रदेश

वित्तीय वर्ष 2015-16

विषय सूचि

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ
1	भूमिका	
	गत तीन पशुगणनाओं के अनुसार पशु संख्या	1
	विभागीय पदों का व्यौरा	2-3
	लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2015-16	4
	बजट प्रावधान व व्यय वर्ष 2015-16	5-7
	विभिन्न पशु संस्थानों की संख्या	7-8
2	कार्य प्रणाली	
	1. पशु चिकित्सा सेवाएं	
	जिलावार पशु चिकित्सा संस्थान	9
	मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के संस्थान	10
	पशु चिकित्सा कार्य वर्ष 2015-16	11
	संक्रामक रोगों की रोकथाम	11
	वैटरीनरी पालीक्लीनिकों की प्रगति	12
	2. पशु विकास	
	कृत्रिम गर्भाधान कार्य	12-13
	पशु प्रजनन प्रक्षेत्रों की प्रगति वर्ष 2015-16	13
	3. भेड़ व ऊन विकास	14
	4. दाना व चारा विकास	14-15
	5. कुक्कुट विकास	15
	6. दुग्ध विकास	16
	7. घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र	16
	8. याक प्रजनन प्रक्षेत्र	16
	9. अंगोरा खरगोश पालन	16
	10. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम	16-18
11. विस्तार सेवाएं	19	
12. परिवीक्षण एवं मूल्यांकन	19	
3	विविध	
	हि0प्र0 जन सेवा गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत सूचना	20-23
	सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना	24-34
	नागरिक अधिकार पत्र	35-42
	शिकायत सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (Grievance Redressal System)	43-47
	Details of PIOs, APIOs and Appellate Authority under RTI Act, 2005	48-53
	Annual Report in pursuance of section 4(1)(b) of the RTI Act, 2005	54
	विभाग की वार्षिक योजना 2016-17 का प्रारूप	55-60

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन
वित्तीय वर्ष 2015-16
(01-04-2015 से 31-03-2016 तक)

भूमिका

भारत एक कृषि प्रधान देश है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां के 90 प्रतिशत लोग कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए पशुपालन का अपना एक विशेष महत्व है। पूर्व में पशुपालन केवल कृषि हेतु खाद व घरेलू उपयोग हेतु दूध, ऊन, मांस व अण्डों आदि के उत्पादन तक ही सीमित था। वर्तमान समय में पशुपालन एक अलग व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। इसके अन्तर्गत डेरी फार्मिंग, भेड़ पालन, कुक्कुट पालन, खरगोश पालन आदि से आय प्राप्त की जा सकती है।

भारत व राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से पशु नस्ल सुधार, रोगों की रोकथाम, पशुपालकों के आर्थिक सुदृढीकरण व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं।

पशु संख्या

गत तीन पशु गणनाओं के अनुसार प्रदेश में मुख्य पशु जातियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि पशुधन प्रदेश में अपना महत्व बनाये हुए है।

क्रम संख्या	पशु जाति	पशु संख्या लाख में		
		पशु गणना-2003	पशु गणना -2007	पशु गणना -2012
1	गोजातीय	21.97	22.69	21.49
2	महिष जातीय	7.73	7.62	7.16
3	भेड़ें	9.06	9.01	8.05
4	बकरियां	11.16	12.41	11.19
5	अन्य	0.54	0.44	0.55
	योग	50.46	52.17	48.44
	कुत्ते	2.08	2.12	1.75
	कुक्कुट	7.64	8.10	11.04

विभाग के कार्यों को सुचारु रूप से चलाने तथा विभागीय क्रिया-कलापों को पशुपालकों तक पहुंचाने हेतु कार्य-योजना तैयार की जाती है। इस कार्य-योजना को

इस प्रकार संचालित किया जाता है कि प्रदेश के पशुपालक पशुपालन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं से वंचित न रहें। अतः विभाग में कार्य निष्पादन के लिए निम्न प्रकार से पद सृजित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान भरे हुए व रिक्त पदों का व्यौरा निम्न सारणी में दर्शाया जा रहा है:-

(31 मार्च, 2016 की स्थिति)					संख्या
क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	निदेशक	1	1	—	
2	संयुक्त निदेशक	3	3	—	
3	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	1	—	1	
4	उप-निदेशक (पशु-स्वास्थ्य / प्रजनन) तथा समकक्ष पद	15	14	1	
5	शस्यविज्ञ	1	—	1	
6	उप-निदेशक (दुग्ध)	1	1	—	
7	सहायक निदेशक स्तर के पद	46	46	—	
8	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी	50	50	—	
9	पशु चिकित्सा अधिकारी	380	338	42	
10	सांख्यिकीय अधिकारी	1	1	—	
11	अधीक्षक ग्रेड-।	7	7	—	
12	सहायक नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा)	1	1	—	
13	निजी सचिव	1	1	—	
14	सांख्यिकीय विद	1	—	1	1 पद स्थगित
15	अधीक्षक ग्रेड-।।	32	31	1	
16	अनुभाग अधिकारी (एस0ए0एस0)	2	—	2	
17	निजि सहायक	1	1	—	
18	विधि अधिकारी	1	1	—	
19	कनिष्ठ अभियन्ता	1	—	1	
20	तकनीकी सहायक (सांख्यिकी)	4	2	2	2 पद स्थगित
21	वरिष्ठ सहायक	81	67	14	
22	वरिष्ठ आशुलिपिक	4	4	—	
23	सांख्यिकी सहायक	10	2	8	3 पद स्थगित
24	मुख्य वैटी फार्मासिस्ट	50	39	11	
25	पशुपालन सहायक	280	250	30	
26	वैटी फार्मासिस्ट	2266	1980	286	
27	कनिष्ठ आशुलिपिक	4	2	2	
28	आशु टंकक	6	—	6	

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
29	तकनीशियन (मकैनिकल)	7	3	4	
30	तकनीशियन (इलैक्ट्रीकल)	7	5	2	
31	तकनीशियन (दस्तकार)	1	—	1	
32	संयंत्र संचालक	1	—	1	
33	चालक	49	38	11	
34	कनिष्ठ सहायक / लिपिक	107	68	39	
35	संगणक संचालक	6	2	4	2 पद स्थगित
36	प्रगणक	24	14	10	6 पद स्थगित
37	रेडियोग्राफर	1	—	1	
38	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	—	1	
39	गैसटेटरनर आपरेटर	1	—	1	
40	दफतरी	1	1	—	
41	चपडासी	69	44	25	
42	पशुपालन परिचारक	2662	2062	600	
43	चौकीदार	30	9	21	
44	कलीनर	2	1	1	
	योग	6220	5089	1131	14 पद स्थगित

योजना कार्यान्वित करने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है। विभाग के मुख्य-मुख्य कार्य इस रूपरेखा में शामिल कर लिए जाते हैं तथा कुछ कार्य परोक्ष रूप से किए जाते हैं। जो कार्य परोक्ष होते हैं उनकी रूपरेखा पहले से तैयार नहीं की जा सकती तथा इन्हें दृष्टिविगत भी नहीं किया जा सकता। जिन विषयों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है वे विभाग के लक्ष्य होते हैं। परोक्ष रूप से किए जाने वाले कार्यों में रोग निदान, बीमार पशु उपचार, बीमारियों का प्रकोप आदि कार्य हैं जिनके लिए लक्ष्य निर्धारित करना असम्भव है।

बर्ष 2015-16 लिए निर्धारित लक्ष्य एवं उपलब्धियों का व्यौरा

क्रम संख्या	विषय	इकाई	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धियां
1	कृत्रिम गर्भाधान			
	क. गाय	संख्या	764400	758876
	ख. भैंस	"	229850	231332
2	वधियाकरण			
	क. नकारा बैलों में	"	70000	77009
	ख. अन्यो में	"	200000	219686
3	टीकाकरण			
	क. मुंह-खुर रोग निरोधक टीके	"	5000000	4715465
	ख. एच0एस0/बी0क्यू0 टीके	"	1260000	1440919
	ग. पी0पी0आर0 टीके	"	700000	763416
	घ. एन्टोर्टॉक्सीमियां टीके	"	240000	216896
	ड. रानीखेत टीके टीके	"	10000	18534
	च. मैरेक्स टीके	"	390000	420126
4	कृमिनाशक दवाई पिलाना	"	2494500	2665158
5	कीटनाशक स्नान करवाना	"	2597600	2784467
6	घास की जड़ों का वितरण	"	1500000	1745672
7	चारा पौधों का रोपण	"	65000	66497
8	पशुपालकों को प्रशिक्षण	"	7700	16593
9	हिमित वीर्य तृण उत्पादन			
	गाय	"	1150000	1300983
	भैंस	"	300000	364423
10	तरल नत्रजन उत्पादन	लिटर	80000	66869
11	प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन	कि०ग्रा०	500	270
12	हैचरियों में चूजों का उत्पादन	संख्या	390000	376450
13	कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण (प्रक्षेत्रों पर)	..	1050	1367
14	बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के अंतर्गत चूजों का वितरण	..	340000	320937
15	दुग्ध उत्पादन	हजार टन	1210.000	1282.860
16	ऊन उत्पादन	टन	1680.000	1411.330
17	अण्डों का उत्पादन	लाख	1100.000	811.670
18	मांस का उत्पादन	टन	4040.000	4005.000

विभाग के विभिन्न कार्य कलापों को सुचारु रूप से चलाने के लिए वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान व व्यय का व्यौरा आगे सारणी में दिया गया है:-

(रूपये लाख में)

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2015-16	व्यय 1.4.15 से 31.03.16
1	निर्देशन व प्रशासन			
	योजना		32.92	32.92
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		1166.59	1213.71
		योग	1199.51	1246.63
2	पशु चिकित्सा			
	योजना		1234.59	1236.91
	योजना केन्द्रीय भाग		294.82	294.81
	गैर योजना		17595.75	17582.45
		योग	19125.16	19114.17
3	गाय एवं भैंस विकास			
	योजना		177.62	177.59
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		530.39	550.10
		योग	708.01	727.69
4	कुक्कुट विकास			
	योजना		25.42	25.40
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		303.57	303.64
		योग	328.99	329.04
5	भेड़ व ऊन विकास			
	योजना		117.05	117.05
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		435.98	431.79
		योग	553.03	548.84
6	अन्य पशु विकास कार्य			
	योजना		1009.39	1009.39
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		82.48	82.48
		योग	1091.87	1091.87
7	दाना व चारा विकास			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		16.09	16.08
		योग	16.09	16.08

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2015-16	व्यय 1.4.15 से 31.03.16
8	शिक्षा व प्रशिक्षण			
	योजना		11.00	11.00
	योजना केन्द्रीय भाग		6.00	6.00
	गैर योजना		—	—
		योग	17.00	17.00
9	प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यिकी			
	योजना		60.56	60.49
	योजना केन्द्रीय भाग		58.63	58.60
	गैर योजना		—	—
		योग	119.19	119.09
10	कुल योग (पशुपालन)			
	योजना		2668.55	2670.75
	योजना केन्द्रीय भाग		359.45	359.41
	गैर योजना		20130.85	20180.25
		योग	23158.85	23210.41
11	विशेष केन्द्रीय सहायता टी0एस0पी0			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		212.48	212.47
	गैर योजना		—	—
		योग	212.48	212.47
12	विशेष केन्द्रीय सहायता एस0सी0एस0पी0			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		100.00	30.00
	गैर योजना		—	—
		योग	100.00	30.00
13	हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को अनुदान एस0सी0एस0पी0			
	योजना		378.00	378.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	378.00	378.00
14	हिमाचल प्रदेश मिल्कफैड को अनुदान टी0एस0पी0			
	योजना		135.00	135.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	135.00	135.00
15	दुग्ध विकास			
	योजना		1287.00	1287.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		81.77	81.77
		योग	1368.77	1368.77

क्रम संख्या	नाम योजना		बजट 2015-16	व्यय 1.4.15 से 31.03.16
16	पूँजीगत प्रावधान			
	योजना		509.95	509.95
	योजना केन्द्रीय भाग		3.22	3.22
	गैर योजना		—	—
		योग	513.17	513.17
17	हि0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान			
	योजना मांग संख्या-31 ज0जातिय विकास योजना		22.00	22.00
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	22.00	22.00
18	गृह			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		7.49	7.49
		योग	7.49	7.49
19	लोक निर्माण			
	योजना		—	—
	योजना केन्द्रीय भाग		—	—
	गैर योजना		—	—
		योग	—	—
20	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना			
	योजना		841.89	841.89
	योजना केन्द्रीय भाग		881.07	881.11
	गैर योजना		—	—
		योग	1722.96	1723.00

पशु संस्थान

हिमाचल प्रदेश में सन् 1948 में केवल 9 पशु चिकित्सालय थे जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध करवाते थे। इसके पश्चात् पशुपालन की ओर विशेष ध्यान दिया गया तथा नये-नये पशु संस्थान स्थापित किए गए जो पशुपालन सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। 31.03.2016 को प्रदेश में निम्न पशु संस्थान कार्यरत थे:-

क्रम संख्या	संस्थान का व्यौरा	प्रदेश में कुल संख्या
1	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	1
2	वैटनरी पॉलीक्लीनिक	9
3	उप मण्डलीय पशु चिकित्सालय	48

4	पशु चिकित्सालय	284
5	केन्द्रीय पशु औषधालय	30
6	पशु औषधालय	1769
7	पशु निरीक्षण चौकियां	6
8	पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	3
9	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र (एक रैम सैटर सहित)	5
10	भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र	9
11	कुक्कुट हैचरियां	2
12	कुक्कुट प्रक्षेत्र/प्रसार केन्द्र	11
13	ऊन विश्लेषण प्रयोगशालाएं	3
14	प्रशिक्षण केन्द्र	2
15	रोग अन्वेषण प्रयोगशालाएं	2
16	स्पर्म स्टेशन	2
17	हिमकृत वीर्य कोष	7
18	रोगव्यापिकी प्रयोगशाला	1
19	शयनिक प्रयोगशालाएं	4
20	गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला	1
21	अंगोरा खरगोश प्रक्षेत्र	2
22	घोड़ा एवं याक प्रजनन प्रक्षेत्र	1
23	गोसदन	1
24	समुच्चय भंडार	11
	कुल योग (प्रदेश)	2214
	मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अन्तर्गत कार्यरत संस्थान	1251

कार्य प्रणाली

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में पशुपालन विभाग के सफलता अभियान के अन्तर्गत कार्यों को निम्न प्रकार से बांटा गया है:-

- 1 पशु चिकित्सा सेवाएं
- 2 पशु विकास
- 3 भेड़ व ऊन विकास
- 4 दाना व चारा विकास
- 5 कुक्कुट विकास
- 6 दुग्ध विकास
- 7 घोड़ा प्रजनन
- 8 याक प्रजनन
- 9 अंगोरा खरगोश प्रजनन
- 10 केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
- 11 विस्तार सेवाएं
- 12 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

1. पशु चिकित्सा सेवाएं

पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रदेश के सभी जिलों में पशु चिकित्सा संस्थानों का जाल सा बिछा दिया गया है। रूग्ण पशुओं का समय-समय पर उपचार किया जाता है। संक्रामक रोगों के फैलने की दशा में शीघ्र कार्यवाही करके सभी पशुओं को टीके लगाकर उनका बचाव किया जाता है। प्रदेश में पशु चिकित्सा संस्थानों जैसे पशु चिकित्सालयों/औषधालयों एवं पालीक्लीनिकों आदि का 31.3.2016 तक जिलावार व्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय	वैटरीनरी पालीक्लीनिक	उप-मण्डलीय पशु चिकित्सालय	पशु चिकित्सालय	केन्द्रीय पशु औषधालय	पशु औषधालय	योग संख्या
1	बिलासपुर	—	1	1	17	3	98	120
2	चम्बा	—	1	5	30	1	166	203
3	हमीरपुर	—	—	4	15	1	118	138
4	कांगड़ा	—	1	8	49	8	337	403
5	किन्नौर	—	—	3	17	1	39	60
6	कुल्लू	—	1	4	13	1	90	109
7	लाहौल-स्पिति	—	—	3	11	—	43	57
8	मण्डी	—	1	7	33	3	267	311
9	शिमला	1	1	5	40	6	252	305
10	सिरमौर	—	1	3	23	4	126	157
11	सोलन	—	1	3	20	1	129	154
12	ऊना	—	1	2	16	1	104	124
योग		1	9	48	284	30	1769	2141

उपरोक्त संस्थानों के साथ-साथ विभाग की 6 पशु-चिकित्सा जांच चौकियां भी प्रदेश में कार्य कर रही हैं।

इसके अतिरिक्त 31.3.2016 तक प्रदेश में विभाग के मुख्यमन्त्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत 1251 पशु औषधालय भी कार्यरत थे। इन संस्थानों का जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	ज़िला का नाम	पशु औषधालय
1	बिलासपुर	43
2	चम्बा	94
3	हमीरपुर	99
4	कांगड़ा	369
5	किन्नौर	8
6	कुल्लू	99
7	लाहौल-स्पिति	3
8	मण्डी	175
9	शिमला	99
10	सिरमौर	78
11	सोलन	67
12	ऊना	117
योग		1251

क. पशु चिकित्सा कार्य

प्रदेश में सभी पशु चिकित्सा संस्थानों द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए पशु चिकित्सा सम्बन्धी कार्यों का व्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	मद्द	संख्या वर्ष 2015-16 में प्रगति
क. संस्थानों पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	418
2.	असंक्रामक रोग	2326565
3.	वधियाकरण	79483
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	56670
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	122227
4.	सींगरहित	35443
5.	टीकाकरण	29131
ख. भ्रमण पर कार्य		
1.	संक्रामक रोग	1432
2.	असंक्रामक रोग	359126
3.	वधियाकरण	217212
4.	कृमिनाशक दवाई पिलाना	2608488
5.	कीटनाशक स्नान करवाना	2662240
6.	सींगरहित	31251
7.	टीकाकरण	7136696

ख. संक्रामक रोगों की रोकथाम

संक्रामक रोगों के फैलने की सूचना प्राप्त होने पर पशुओं के उपचार हेतु शीघ्र ही पग उठाए जाते हैं। विभागीय कर्मचारी संक्रामक रोगों के फैलने के स्थानों पर जा कर रोगी पशुओं का उपचार करते हैं तथा घातक रोगों से बचाव हेतु सभी स्वस्थ पशुओं को रोगनिरोधक टीके आदि लगाते हैं। इस मद्द में वर्ष 2015-16 में 17 स्थानों से संक्रामक रोग फैलने की सूचना प्राप्त हुई तथा सभी क्षेत्रों में जाकर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पशुओं का उपचार तथा टीकाकरण किया गया।

ग. वैटरीनरी पालीक्लीनिक

प्रदेश में 9 वैटरीनरी पालीक्लीनिक स्थापित किये गये हैं। इन संस्थानों द्वारा पशु रोगों के निदान तथा उपचार सम्बन्धी वे सभी सुविधाएं जो चिकित्सालय/औषधालय स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, पशु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती हैं। इन संस्थानों द्वारा वर्ष 2015-16 में निम्न प्रगति की गई:-

संख्या

क्रम संख्या	मद्द	पालीक्लीनिक में उपचार	पशु चिकित्सा शिविरों में उपचार
1	गाईनी केस का उपचार	2016	1656
2	सर्जिकल केस का उपचार	3786	414
3	मैडिसिनल केस का उपचार	38090	6796
4	नमूने एकत्र करके परीक्षण किया	11782	806
5	पशु चिकित्सा शिविर लगाए	330	

2. पशु विकास

प्रदेश में पहाड़ी प्रजाति की गायों को जर्सी तथा होलस्टेन नस्ल से क्रॉसब्रीडिंग करवा कर विकसित किया जा रहा है। अधिक दूध देने वाली देसी/पहाड़ी नस्ल के द्वारा वांछित 50 प्रतिशत तक उत्तम विदेशी जर्मप्लाज़्म का स्तर बनाए रखा जा रहा है। आधुनिक तकनीकी द्वारा हिमिकृत वीर्य के स्ट्रॉ उत्पादित करके गाय तथा भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली को अपनाया जा रहा है। दुर्गम क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाना अभी सम्भव नहीं है, वहां पर सुधरी नस्ल के जर्सी सांडों व मुराह नस्ल के भैंसा सांडों द्वारा प्राकृतिक गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

क. कृत्रिम गर्भाधान

प्रदेश में क्रॉसब्रीडिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए इस समय 2 उच्च स्तरीय स्पर्म स्टेशन, 7 वीर्य कोष तथा 5 तरल नत्रजन संयंत्र कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य से वीर्य तृणों का उत्पादन किया जाता है। इन तृणों का तरल नत्रजन में भण्डारण किया जाता है जिनसे बाद में कृत्रिम गर्भाधान सम्भव होता है। वर्ष 2015-16 में गाय के 13,00,983 तथा भैंसों के 3,64,423 वीर्य तृणों का उत्पादन किया गया। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उत्तम नस्ल के सांडों के वीर्य तृण बाहरी स्रोतों से भी प्राप्त किये जाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 2551 पशु संस्थानों में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इनमें

364 मुख्यमंत्री आरोग्य पशुघन योजना के अंतर्गत खोले गए पशु संस्थान, जिनमें यह सुविधा उपलब्ध है, भी सम्मिलित हैं। भविष्य में इसे और अधिक संस्थानों में उपलब्ध करवाया जायेगा।

तरल नत्रजन का उत्पादन वीर्य तृणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है ताकि कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों तक तृण सुरक्षित पहुंचाए जा सकें तथा संस्थानों में इनका भण्डारण किया जा सके। वर्ष 2015-16 में केवल तीन तरल नत्रजन प्लांट कार्यरत थे जिनके द्वारा 2,16,520 लीटर तरल नत्रजन उत्पादन किया गया।

विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 में कुल 7,58,876 गायों में कृत्रिम गर्भाधान किया जिसके फलस्वरूप 1,61,397 नर व 1,70,464 मादा संतति उत्पन्न हुई। इसी के साथ 2,31,332 भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान किया गया जिससे 51,736 नर व 51,775 मादा संतति उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में जहां कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पर विभाग ने प्राकृतिक गर्भाधान की व्यवस्था की है। वर्ष 2015-16 के दौरान 233 गायों में तथा 73 भैंसों में प्राकृतिक गर्भाधान किया गया जिससे गाय के 59 नर व 68 मादा तथा भैंसों के 15 नर व 23 मादा संतति उत्पन्न हुई।

ख. पशु प्रजनन प्रक्षेत्र

प्रदेश में 3 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पालमपुर, कोठीपुरा व बागथन) कार्य कर रहे हैं। इन प्रक्षेत्रों का मुख्य कार्य उन्नत नस्ल के बछड़े-बछड़ियां पैदा करना है। बछड़ों का भलि भांति पालन-पोषण करके उन्हें वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं में स्थानान्तरित कर दिया जाता है ताकि इनको प्रजनन हेतु प्रयोग में लाया जा सके तथा जिससे पहाड़ी प्रजाति की गायों की नस्ल सुधारी जा सके। इन प्रक्षेत्रों की वर्ष 2015-16 में उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	मद्द	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन पशु पाले	230
2	संतति उत्पन्न	79
3	पशु विक्रय/वितरित	13
4	पशु नीलाम किए	41
5	दुग्ध उत्पादन (लीटर)	185451
6	दुग्ध वितरण (लीटर)	154796
7	दुग्ध बछड़ों-बछड़ियों को पिलाया (लीटर)	30655
8	टीकाकरण	609
9	कृमिनाशक दवाई पिलाई	1125
10	कीटनाशक स्नान कराया	2335

3. भेड़ व ऊन विकास

प्रदेश में भेड़ों की संख्या 8.05 लाख है जोकि कुल पशु संख्या में से गोजातीय पशुओं की संख्या के बाद तीसरे स्थान पर आती है। विभाग के 4 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र एवं एक रैम सैन्टर प्रदेश में कार्यरत हैं जिनका उद्देश्य उन्नत किस्म के मेंढे उत्पन्न करके भेड़ पालकों में वितरण करना है। इन मेंढों का वितरण भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों ताल जिला हमीरपुर, ज्योरी जिला शिमला, काकस्थल जिला किन्नौर, नगवाई जिला मण्डी तथा सरोल जिला चम्बा से किया जाता है। प्रदेश में 9 भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र भी खोले गए हैं जिनके द्वारा भेड़ों से ऊन उतारने का कार्य भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारगमन शिविरों द्वारा भेड़ों को अन्दरूनी एवं बाह्य परजीवियों से बचाव हेतु दवाई पिलाई जाती है तथा कीटनाशक स्नान कराया जाता है।

भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों में वर्ष 2015-16 के दौरान किए गये कार्यों का व्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	वर्ष के दौरान औसतन भेड़ें पाली	1962
2	संतति उत्पन्न	637
3	भेड़े विक्रय/वितरित	333
4	भेड़े नीलाम की	294
5	प्रजनन हेतु मेंढे वितरित किए	449
6	ऊन उत्पादन (किवंटल)	24.57
7	कृमिनाशक दवाई पिलाई	8625
8	कीटनाशक स्नान कराया	4041
9	टीकाकरण	5150

4. दाना व चारा विकास

पशुओं से अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए पशु नस्ल सुधार के साथ-साथ चारे का भी महत्वपूर्ण स्थान है। पशुपालकों को विभाग द्वारा उन्नत किस्म के चारा घास की जड़ें व चारा पौधे वितरित किए जाते हैं। इस प्रकार कृषि योग्य भूमि में पौष्टिक तत्वों से युक्त घास तथा चारा फसलों का विकास करने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त घासनियों तथा चरागाहों का भी सुधार किया जाता है। वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा प्रदेश भर में 17,45,672 चारा घास की जड़ें तथा 66,497 चारा पौधों का किसानों को वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय प्रक्षेत्रों में 2.70 किवंटल चारा बीज का उत्पादन किया गया।

5. कुक्कुट विकास

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत कुक्कुट विकास कार्य भी किया जाता है। यह कार्य विभाग के कुक्कुट प्रक्षेत्रों/केन्द्रों द्वारा किया जाता है। प्रदेश में वर्तमान में 2 हैचरियां व 9 कुक्कुट प्रसार केन्द्रों/प्रक्षेत्रों के माध्यम से वर्ष 2015-16 के दौरान निम्न प्रगति की गई है:-

क्रम संख्या	मदद	उपलब्धी
1	अण्डे देने वाली मुर्गियों की संख्या	2371
2	अण्डों का उत्पादन/प्राप्ति	597180
3	चूजों का उत्पादन	376450
4	कुक्कुट प्रजनन हेतू बेचे	348976
5	कुक्कुट प्रक्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया	1367
6	टीकाकरण (मैरेक्स तथा रानीखेत)	438660

प्रदेश में कुक्कुट विकास को गति देने के लिए बैकयार्ड कुक्कुट स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत कुक्कुट पालकों को एक दिवसीय चूजों से लेकर 2-3 सप्ताह आयु तक के चूजों को विभाग में विभिन्न कुक्कुट प्रक्षेत्रों/केन्द्रों में पालने के उपरान्त सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 320937 चूजें 10453 किसानों को वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त विभाग ने 11820 किसानों को कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण भी उपलब्ध करवाया ताकि इस व्यवसाय को अपनाकर वे आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सकें। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 2535 लाभार्थियों को अनुदान पर 50700 चूजे भी वितरित किये गये ताकि कुक्कुट पालन से घर द्वार पर उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध हो तथा स्वरोजगार के साधन भी सुनिश्चित किये जा सकें।

6. दुग्ध विकास

पशुपालन विभाग दुग्ध प्रसंग हि0प्र0 को प्रतिवर्ष अनुदान राशि उपलब्ध करवाता है। प्रदेश में दुग्ध विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, दुग्ध एकत्रीकरण, विधायन एवं वितरण कार्य का कार्यान्वयन हिमाचल दुग्ध प्रसंग द्वारा सहकारी क्षेत्र में आनंद पद्धति पर किया जा रहा है। दुग्ध प्रसंग द्वारा दुग्ध उत्पादकों से दूध दुग्ध उत्पादक सहाकारी समितियों के माध्यम से खरीदा जा रहा है।

7. घोड़ा प्रजनन

चामूर्ति (स्पिति) नस्ल के घोड़ों की प्रजाति के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा लाहौल-स्पिति जिला में लरी नामक स्थान पर एक घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2015-16 में 49 घोड़े/घोड़ियां पोषित की जा रही थीं।

8. याक प्रजनन

वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार की सहायता से घोड़ा प्रजनन प्रक्षेत्र लरी जिला लाहौल-स्पिति में ही याक प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किया गया है। इस प्रक्षेत्र में वर्ष 2015-16 के दौरान 50 याक पाले जा रहे थे।

9. अंगोरा खरगोश पालन

प्रदेश की जलवायु अंगोरा खरगोश पालन हेतु उत्तम पाई गई है। इसके लिए विभाग ने दो अंगोरा खरगोश प्रजनन प्रक्षेत्र कण्डवाड़ी जिला कांगड़ा तथा नगवाई जिला मण्डी में खोले हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान इन प्रक्षेत्रों में औसतन 356 खरगोश पाले जा रहे थे तथा 80 खरगोश पशुपालकों को बेचे/नीलाम किए गए।

10. केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

1. गाय व भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत दुधारु पशुओं का नस्ल सुधार करने हेतु पशुपालकों को उनके घर द्वार पर उत्तम गुणवत्ता की प्रजनन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक प्रजनन योग्य गाय/भैंसों को हिमिकृत वीर्य तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। जहां कृत्रिम गर्भाधान सुविधा

उपलब्ध करवाना असम्भव है वहां प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

2. दुधारू पशु बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के बीमा प्रीमियम की राशी का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार वहन करती है तथा बाकि राशी पशुपालक द्वारा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिला चम्बा, हमीरपुर, कांगडा, मण्डी, व शिमला में दुधारू गाय व भैसों का बीमा किया जाता है।

3. केन्द्रीय भेड़ पालक बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों से 330/-रूपये की प्रीमियम राशी में से केवल 80/-रूपये लेकर प्राकृतिक तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु/विकलांगता के लिए बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमाकृत भेड़ पालक के नौवीं से बाहरवीं तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले दो बच्चों को 100/-रु0 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2015-16 के दौरान प्रदेश में 903 भेड़ पालकों का बीमा किया गया।

4. डेयरी उद्यमिता विकास योजना

इस योजना का लक्ष्य पशु पालकों/स्वयं सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठन, सहकारी सभाएं इत्यादि को अच्छी नस्ल के दूधारू पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करके अधिक दुग्ध उत्पादन द्वारा स्वरोजगार सृजित करना है। इस परियोजना के अन्तर्गत पहले ऋण की राशि का 50 प्रतिशत भाग ब्याज मुक्त था परन्तु सितम्बर 2010 में इस परियोजना के वित्तीय सहायता के स्वरूप में बदलाव लाया गया। अब इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के पशुपालकों को कुल ऋण पर 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के पशुपालकों को 33.33 प्रतिशत अनुदान अन्त में समायोजित करने का प्रावधान है जिसकी अधिकतम राशि 5 लाख रु0 है। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा अंशदान के रूप में ऋण लेने वाले व्यक्ति, समूह व संगठन से बैंक में जमा करवाया जाता है। ऋण की अदायगी करने की अधिकतम अवधि 7 वर्ष है। इस परियोजना में कम से कम 2 तथा अधिकतम 10 दुधारू पशुओं के लिए ऋण देने का प्रावधान है।

यह परियोजना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक (NABARD) के माध्यम से प्रदेश में चलाई जा रही है।

5. एकीकृत दुग्ध विकास परियोजनाएं

विभिन्न उत्तम पशु प्रबन्धन तकनीकों द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति लाने हेतु प्रदेश के पांच जिलों (सोलन, मण्डी, हमीरपुर, चम्बा एवं कांगड़ा) में यह परियोजनाएं विभाग द्वारा डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में 75 : 25 के अनुपात से केन्द्र सरकार पशु पालकों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है।

6. एकीकृत ऊन सुधार परियोजना

भेड़ पालकों की गद्दी नस्ल के भेड़ों की नस्ल तथा ऊन में सुधार के लिए यह परियोजना प्रदेश के जिला चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी व कुल्लू में हिमाचल प्रदेश ऊन प्रसंग के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस परियोजना में भेड़ पालकों को उत्तम नस्ल के मेंढे, आवश्यक दवाईयां तथा ऊन विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

7. राष्ट्रीय पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना

केन्द्रीय प्रायोजित पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है।

8. पशु रोगों के नियन्त्रण के लिए प्रदेशों को सहायता योजना (एसकैड)

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों (मुंह-खुर रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, पी0पी0आर0 रोग, रेबीज आदि) के टीकाकरण, नियन्त्रण एवं निगरानी का कार्य पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

11.विस्तार सेवाएं

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण शिविरों, पशु-प्रदर्शनी और पशु-मेलों का आयोजन करता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्षेत्रों में पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

12. परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

क. निदेशक, पशुपालन के नेतृत्व में संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों व सहायक निदेशकों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों/ योजनाओं का लगातार कार्यान्वयन, परिवीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है।

ख. पशु उत्पादों का अनुमानित उत्पादन

पशुपालन विभाग भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 50:50 स्कीम "समेकित प्रतिदर्श सर्वेक्षण (Integrated Sample Survey for the Estimation of Major Livestock Products viz. Milk, Egg, Wool & Meat)" भी कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में मुख्य पशु जन्य उत्पादों यथा दूध, अण्डे, ऊन व मांस के उत्पादन के अनुमान लगाये जाते हैं जो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं। वर्ष 2015-16 में पशु समुदाय से प्राप्त होने वाले मुख्य उत्पादों का अनुमानित उत्पादन निम्न प्रकार रहा:-

दूध	1282.86 हजार टन
ऊन	1411.33 टन
अण्डे	811.67 लाख
मांस	4005 टन

Government of Himachal Pradesh
Department of Animal Husbandry

No.AHY-A(3)-2/2011

Dated Shimla-2

Notification

In exercise of the powers vested under Section of the HP Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers, 1st Appellate Authority and 2nd Appellate authority under for providing the services within the prescribed time limits relating to the Animal Husbandry Department, Himachal Pradesh for the purpose of the above said Act:-

S. No-	Title of Service	Designated Officer/ Official	Time limit for providing services	Designation of 1 st Appellate Authority	Designation of 2 nd Appellate Authority
1	Artificial Insemination	Skilled Inseminator of the concerned area.	At the Veterinary Institution :- On receipt of request for Artificial Insemination the skilled inseminator shall examine the concerned cow/ buffalo within two hours and after examination, depending on stage of estrus, he will decide the time of conducting the Artificial Insemination. At door step of the livestock owner - On receipt of request for Artificial Insemination the skilled inseminator shall examine the concerned cow/ buffalo at the doorstep of the farmer at the earliest but not later than 12 hours and after	Deputy Director (AH/B) / Controlling Officer of the concerned area.	State Information Commission

			<p>examination, depending on stage of estrus, he will decide the time of conducting the Artificial Insemination.</p> <p>Note:- Providing of this service as per time will depend on availability of skilled Inseminator, and material /inputs required for performing Artificial Insemination.</p>		
2	Issuance of Health/ Fitness certificate	<p>Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer of the concerned area.</p>	<p>On receipt of written request, the designated officer will examine the animal and issue health/ fitness certificate as per following time schedule :-</p> <p>At the Veterinary Institution :-</p> <p>On the same day</p> <p>At door steps of the livestock owner – Maximum 7 days</p> <p>Note:- In case the livestock is also required to be insured, then the designated officer will issue health/ fitness certificate within the prescribed time schedule given above after the animal has been tagged by the concerned insurance agency.</p>	Deputy Director (AH/B) /Controlling Officer of the concerned area.	

3.	Post Mortem of the livestock	Senior Veterinary Officer/ Veterinary Officer	<p>On receipt of written request the designated officer will proceed for conducting postmortem within following time schedule:-</p> <p>(1) If the site of conducting Post Mortem is connected with motorable road – Max. 12 hours</p> <p>(2) If the site of conducting Post Mortem is connected with foot path– Max. 24 hours</p> <p>(3) If the site of conducting Post Mortem falls in inaccessible area- Max. 48 -72 hours</p> <p>Issuance of Post Mortem Report - Max. 3 days after conducting the post Mortem</p>	Deputy Director (AH/B) / Controlling Officer	
----	------------------------------	--	--	--	--

- Provision of services within time schedule will depend on availability of staff and inputs at the institution concerned, otherwise extra time will be required to arrange staff from nearby institutions along with emergency medicines/inputs/transport etc.

By order

(A.J.V. Prasad)
Pr. Secretary (AH) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Penalty

(1) Where the second appellate authority is of the opinion that the designated officer has failed to provide service or has caused delay in providing such services without sufficient and reasonable cause there is provision to impose a lump sum penalty under this act which shall not be less than one thousand rupees but not more than five thousand rupees.

Provide that the designated officer shall be given a reasonable opportunity of being heard before any order of penalty is passed against him.

(2) The Second appellate authority may order to give any amount as compensation to the appellate from out of penalty imposed under this section, but the amount of such compensation shall not exceed the amount of penalty imposed:

Provided that any penalty imposed under this section on the designated officer for delay in providing the service is refusal to provide service shall be borne by such officer in personal capacity but not as a functionary of the state Government unless the second appellate authority directs otherwise.

Provided further that the second appellate authority may, after hearing the designated officer, apportion the amount of penalty amongst designated officer and any other officer (s) as may be found to have contributed to such denial or delay in providing the service.

(3) If the second appellate authority is satisfied that the designated officer has failed to discharge the duties under this act, without sufficient and reasonable cause, then it may also recommend to the appointing or disciplinary authority of the designated officer and disciplinary action under the applicable service rules be also initiated against such officer.

GOVT. OF HIMACHAL PRADESH



ANIMAL HUSBANDRY
DEPARTMENT

INFORMATION
IN
RESPECT OF

RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

(IN PURSUANCE OF SECTION 4(1)(b) OF THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY
INFORMATION IN PURSUANCE OF SECTION 4(1)(b) OF THE RIGHT TO
INFORMATION ACT, 2005
INDEX OF CONTENTS**

S.No.	Sub-Clause of Section 4(1)(b),RTI	Description	Page No.
1.	(i)	Particulars of Organization, Functions and Duties of the Department.	24
2.	(ii)	Powers and Duties of the Officers and employees of the department.	24-25
3.	(iii)	Procedure followed in the decision- making process, including channels of supervision and accountability.	26
4.	(iv)	Norms set by the Department for the discharge of its functions.	26
5.	(v)	Acts, Rules, Regulations, instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control or used by its employees for discharging its functions.	26
6.	(vi)	Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.	27-28
7.	(vii)	Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by , the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.	28
8.	(viii)	Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.	28-29
9.	(ix)	Directory of officers and employees of the department.	See at departmental website www.agrisnetgov.in
10.	(x)	Monthly remuneration received by each of department's officers and employees.	29-30
11.	(xi)	Budget, allocated to each of the Department's agencies, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made.	30-31
12.	(xii)	Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	31-32
13.	(xiii)	Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.	32
14.	(xiv)	Details in respect of the information, available to or held by the Department reduced in an electronic form.	32
15.	(xv)	Particulars of facilities available to citizens for obtaining information.	33-44
16.	xvi)	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	45-51
17.	(xvii)	General information of the department.	51

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
INFORMATION
UNDER SUB-CLAUSE(II)
OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT,2005.**

i) Particulars of Organization, Functions and Duties of the Department.

(a) Particulars of the Organization:

The Organization chart of the department as per Annexure-A

(b)Particulars of Functions & Duties.

1. Animal Health and Veterinary Services.
2. Cattle and Buffaloes Breeding.
3. Sheep and Wool Development.
4. Poultry Development.
5. Angora Rabbit Breeding.
6. Horse Breeding.
7. Feed and Fodder Development.
8. Animal Husbandry Extension Programme.

ii) Powers and Duties of the Officers and employees of the department.

(a) Director of Animal Husbandry

1. Director Animal Husbandry being the Administrative and Professional head of the Animal Husbandry Department in the State, exercise all the Administrative and Financial Powers as enjoined upon the Heads of the Departments in the Himachal Pradesh Government.
2. He shall act as a Chief Technical Advisor to the State Government on all matters relating to the Animal Husbandry Department.
3. He shall control all the Animal Husbandry affairs in the State and shall issue special instructions considered necessary for administrative and professional reasons.
4. Any major policy matter relating to the professional activity shall be undertaken by him in consultation with two other Senior Officers of the Department who are Specialists in their disciplines.
5. He shall be responsible for preparation of the budget and appropriation proposals for the whole department for consideration and approval of the Govt.
6. Submissions of all the reports and returns to the Government (Monthly/Quarterly/Annual Progress reports).

7. He shall exercise all the powers delegated to him by the Government and shall be directly answerable to the Govt.

(b) Joint Director of Animal Husbandry

1. The Joint Director will assist the Director Animal Husbandry in the performance of his duties and responsibilities as stated above.
2. He shall be required to inspect the institutions under his control and shall exercise all the administrative and financial powers of the controlling officer within his jurisdictions.

(c) Deputy Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and for the implementation of various schemes within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for executing and monitoring the progress of various schemes as to their financial and physical achievements.
3. He shall furnish all the reports and information to the Director, Animal Husbandry and any other controlling officer as required by them from time to time.
4. He shall supervise and issue necessary instructions to its subordinate for the proper implementation of the schemes of the department from time to time.

(d) Assistant Director of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for all the Animal Husbandry Activities and implementation of various schemes within his jurisdiction.

(e) Senior Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes / programmes of the department within his sub-division.
2. He shall supervise the working of Veterinary Hospitals and Veterinary Dispensaries in his Sub-Division.
3. He shall act as a representative of the department in dealing with other departments at the Sub-Division Level.

(f) Veterinary Officer of Animal Husbandry

1. He shall be responsible for the execution of various schemes/ programmes of the department within his jurisdiction.
2. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution.
3. He shall be responsible for the supervision and monitoring of Animal Husbandry Activities in the institutions under his control/ jurisdiction.

(g) Animal Husbandry Assistant/ Veterinary Pharmacist

1. He shall be responsible for providing Animal Health/ Breeding Services in his institution .
2. He shall be responsible for all stock and store in veterinary dispensaries
3. He shall compile all returns and other information desired by the department and submit in time to the higher ups.
4. He shall maintain all relevant records of dispensary.

ii) Procedure followed in the decision- making process, including channels of supervision and accountability.

There is a set procedure for decision-making process, including channels of supervision and accountability in the Department of Animal Husbandry as has already been depicted in the organizational chart at **Annexure-A**

iv) Norms set by the Department for the discharge of its functions.

As per the present norms set up by the Govt. of Himachal Pradesh for discharging the functions and activities of the Department of Animal Husbandry, there is atleast one Vety. Institution in every two panchyats of the State.

Presently a total of 2136 institutions are functioning in the State, whose detail is given district-wise and institutions-wise in tabulated form as **Annexure-B.** And A.I. Facility on **Annexure-C.**

v) Acts, Rules, Regulations, instructions, Manuals and Records held by the Department or under its control or used by its employees for discharging its functions.

1. The Himachal Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1979.
2. The Himachal Pradesh Livestock Improvement Act 1968 and Rules 1969.
3. The Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and Supplementary Rules made under this Act.
4. The Himachal Pradesh Livestock and Bird Diseases Act, 1968.
5. CCS Leave Rules, 1972.
6. CCS (CCA) Rules,1965
7. CCS Conduct Rules, 1964.
8. HPFR Rules Vol-I & II.
9. Medical Attendance Rules,(1940)
10. HB Advance Rules
11. Leave Travel Concession Rules.
12. Budget Manual.
13. Pension Rules.
14. GPF Rules.
15. General Finance Rules
16. Vehicle Rules.
17. Subsidiary Treasury Rules.
18. T.A. Rules (HP)
19. Departmental Manual of Animal Husbandry Department.
20. Citizens Charter of Animal Husbandry Department,(H.P.)
21. Office Manual of H.P.Govt.
22. FR/SR Rules.

VI Statement of the categories of documents that are held by the Department or under its control.

(a)Records/Registers maintained at the Veterinary Institutions of the department.

1. Out -door Patient Register.
2. Artificial Insemination Register.
3. Stock Book of Medicines/Ledger Articles.
4. Progeny Register.
5. Income Register.
6. Tour Register.
7. Vaccination Register.
8. Monthly/Quarterly/Annual progress reports files/register.
9. Livestock Register.
10. Feed and Fodder Register.
11. Breeding, Progeny and Pedigree Register of the Farms.
12. Milk, Egg, Wool, Meat Production Register.
13. Postmortem Register/File.
14. Livestock Auction/ Sale Register.

(b) Records maintained in the Establishment Section.

1. Diary/Despatch Register.
2. Attendance Register.
3. Casual Leave Register.
4. Service Books of the Staff.
5. Personal /Transfer Files of the Staff.
6. Establishment Returns (quarterly), Files.
7. Inspection Note Files.

(c) Records maintained in the Accounts Section

1. Contingent Bill Register.
2. Treasury Bill Register.
3. Cash Books.
4. Receipt Books.
5. Monthly Income and Expenditure Registers & Files.
6. Advances Register.
7. Budget Files.
8. Pay Bill Register.
9. Payment Register.
10. CAG Reports Register.
11. Audit Reports.

(d) Miscellaneous Register

1. Log Books of Vehicles.
2. Assembly Business Files.
3. Parliamentary Question Files.
4. Vidhan Sabha Committee Reports.
5. Annual Administrative Reports.

6. Annual Budget Books
7. Administrative Approval and Expenditure Sanction Files of the Major and Minor Works.
8. Monthly /Quarterly/Annual progress report of the department.
9. Pool Medicine Register.

(e) Records at the Sperm Station/LN2 Plants.

1. Semen Straw Production Register/ Distribution Register.
2. Bull Register.
3. LN2 Production Register.
4. LN2 Distribution Register.
5. A.I.Equipment/ Distribution Register.
6. Ledger Register/Stock Book.

vii) Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of Department's policy or implementation thereof.

Animal Husbandry Department has prepared a Citizen's Charter for the information of the General Public, which facilitates in the implementation of programmes/ policies/ scheme of the Department.

At the grass-root level the departmental representatives i.e. Veterinary Pharmacist/ Animal Husbandry Assistant/Veterinary Officer/Sr.Vety.Officer are regularly attending the Quarterly Gram-Sabha Meetings, for the redressal of the grievances of the General Public, as well as for taking suggestion of the Public. Besides this, the departmental officers are regularly attending the 20 Point Programmes Meetings/ Grievances Meetings, Developmental Activities Meetings/ District level Meetings/ Zila Parishad level. At the State level, Planning Meeting held under the Chairmanship of Chief Minister, Suggestions/ Guidelines given by all the MLA's are incorporated in the Programmes and Policies of the Department for its implementations.

viii) Statement of Boards, Councils, Committees or other bodies consisting of two or more persons constituted as a part of the Department or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public.

The department of Animal Husbandry has constituted the following boards /committees etc.

1. H.P.Livestock Development Board.
2. State Animal Welfare Board, Himachal Pradesh.
3. State Level Purchase Committee.
4. District Level Purchase Committee.
5. Technical Committees.
6. Livestock Culling Committee.

The proceedings of these boards/committees are accessible to the public.

- ix) **Directory of officers and employees of the department.**
x) **Monthly remuneration received by each of department's officers and employees.**

Class-I

S.No.	Name of post	Pay Scale.
1.	Director,Animal Husbandry,H.P.	37400-67000+10000 GP
2.	Joint Director,Animal Husbandry,H.P.	37400-67000+8700 GP
3.	Dy.Director/Asstt.Director/Sr.Vety.Officer Veterinary Officer. Note:- Vety. Officer being appointed in the Department of Animal Husbandry on contract basis are given Rs.15600+5400GP=21000/-P.M. (consolidated salary)	37400-67000+8600 GP 15600-39100+5400 GP
4.	Agrostologist	10300-34800 +5400 GP
5.	Dy.Director(Dairy)	10300-34800 +5400 GP
6.	Dy.Director(Stat)	10300-34800 +5400 GP
7.	Assistant Controller (F&A)	10300-34800 +5400 GP
8.	Private Secretary	15600-39100+5400 GP
9.	Supdt.Grade-I.	15600-39100+5400 GP
<u>Class-II</u>		
1.	Section Officer(SAS)	10300-34800 +5000 GP
2.	Statistical Officer	10300-34800 +4200 GP
3.	Asstt.Agrostologist.	10300-34800 +5000 GP
<u>Class-III</u>		
1.	Supdt.Grade-II	10300-34800 +4800 GP
2.	Personal Assistant.	10300-34800 +4800 GP
3.	Technical Assistant(Stat)	10300-34800 +4200 GP
4.	Law officer	10300-34800 +4200 GP
5.	Sr.Scale Stenographers	10300-34800 +4400 GP
6.	Sr.Assistant.	10300-34800 +4400 GP
7.	Jr.Engineer	10300-34800 +4200 GP
8.	Stat.Assistant	10300-34800 +4400 GP
9.	Dairy Inspector	10300-34800 +4200 GP
10.	Chief Vety. Pharmacist.	10300-34800 +3800 GP
11.	Animal Husbandry Assistant	10300-34800 +3600 GP
12.	Vety. Pharmacist	10300-34800 +3600 GP
13.	Jr.Scale Stenographer	10300-34800 +3600 GP
14.	Carpenter	5910-20200+2400 GP
15.	Electrician	5910-20200+2400 GP
16.	Steno-typist.	10300-34800 +3200 GP
17.	Drivers	5910-20200+2400 GP
18.	Enumerator	5910-20200+1900 GP
19.	Clerks (Rs. 5910-20200 + 1900 GP and after 2 yrs)	10300-34800 +3200 GP
20.	Computer Operator	10300-34800 +3200 GP
21.	Junior Technician	5910-20200+1900 /2400 GP
22.	Technician grade-11	5910-20200+2800 GP

23.	Technician grade-1	10300-34800 +3200 GP
24.	Cooperative Inspector	10300-34800 +3600 GP
Class-IV		
1.	Gestetnor Operator	5910-20200+1900 GP
2.	Peon/BCWC/Beldar/Sweeper/other class-IV posts.	4900-10680+1650 GP
3.	Daftari	5910-20200+1900 GP

- xi) **Budget, allocated to each of the Department's agencies, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made. The budget availability is depicted in the following table for the year 2015-16(including CSS)**

Demand No-14. Animal Husbandry (Budget in thousands)

Description	Plan	Non-Plan	Total
Direction & Administration.	1276	103312	104588
Veterinary Services & Animal Health.	104538	1622392	1726930
Cattle & Buffalo Development.	13262	53039	66301
Poultry Development.	942	29558	30500
Sheep & Wool Development.	3953	36583	40536
Other Livestock Development.	100939	8248	109187
Fodder & Feed Development.	-	1609	1609
Extension & Training	1700	-	1700
Administrative Investigation & Statistics.	11919	-	11919
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	113718	-	113718
Dairy Development.	128700	8177	136877
Capital Outlay on AH.	32899	-	32899
Public Works	-	-	-
Housing	-	749	749
Grand Total Demand No. 14	513846	1863667	2377513

Under Demand No-31 (TSP)

Tribal Area Sub Plan	22187	147525	169712
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	15508	-	15508
Agriculture Research & Education.	2200	-	2200
4403 Capital Outlay	5272	-	5272
S.C.A.	21248	-	21248
Conservation of threatened breed	-	-	-
Cattle registration	-	-	-
Dairy Development	13500	-	13500
Grand Total Demand No. 31	79915	147525	227440

Under Demand No. 32- Schedule Caste Sub-Plan

Description	Plan	Non-Plan	Total
Veterinary Services & Animal Health	22782	-	22782
Cattle & Buffalo Development (SOON)	300	-	300
Cattle & Buffalo Development (AOON)	3000	-	3000
Estt. Of Semen Lab (SOON)	1800	-	1800
Central & Distt. Poultry Farms (SOON)	1600	-	1600
Central & Distt. Poultry Farms (AOON)	7000	-	7000
Sheep Breeding Farm Centres	2664	-	2664
Feed & Fodder Development	-	-	-
Rashtriya Krishi Vikash Yojna	43070	-	43070
Cattle registration	400	-	400
2404 Dairy Development	37800	-	37800
4403 Capital Outlay	12600	-	12600
ASCAD	11038	-	11038
NPRE	-	-	-
Veterinary Council	-	-	-
Livestock Census	-	-	-
Animal Welfare Board	1500	-	1500
TOTAL	145554	-	145554

Under Demand No. 15 –Backward Sub-Plan

Veterinary Services & Animal Health	-	10819	10819
Capital Outlay	546	-	546
Grand Total Demand No -15	546	10819	11365

xii) Manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes.

At present the department is executing the following subsidy programmes:-

Livestock Insurance Scheme/ Poultry Schemes/Shepherd insurance scheme and Livestock Vaccination.

1. Livestock Insurance Scheme for elite Milch Animals (only in District of Mandi, Kangra, Chamba, Shimla & Sirmour) is being implemented by the department since March, 2006. In this scheme, upto a maximum of two milch animals per beneficiary are covered under insurance for which Govt. of India Provides 50% subsidy on insurance premium for a period of three years comprehensive insurance.

2. 200 broiler chicks scheme:- Under this scheme Schedule Caste families of the state are covered upto a total annual income of Rs.40000/-. In these scheme 200 broiler chicks along with feed, medicines, equipments etc. in two phases are provided with a maximum subsidy of Rs. 18000/- per beneficiary.
3. 100% transportation subsidy scheme is available on the cost of transportation of cattle feed in Tribal Areas of the State only.
4. The department is also providing Free Vaccination of Foot & Mouth Disease, Hemorrhagic Septicemia, Black Quarter diseases (FMD, H.S. & B.Q.) in cattle & buffaloes, PPR, Entero Toxemia in Sheep & Goats and Ranikhet and Marek's Disease in Poultry Birds.
5. Doodh Ganga Yojna: - Nodal agency for this scheme is NABARD. Under this scheme loans are provided to individual farmers /Self help Groups from all nationalized banks to purchase dairy/milch animals and setting up of milk cooling plants etc. there is provision of 25% subsidy for general, and 33.33 % for SC&ST category farmers. 10% of total cost as margin money will be born by Self Help Group /individual farmers and 90% will be given as loan by the banks.

xiii) Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by the Department.

No permits and authorization are granted under any programme of the department. However the concessions in the shape of subsidy are being given by the department as depicted at point No.xii.

xiv) Details in respect of the information, available to or held by the Department reduced in an electronic form.

The website of the department is being hosted under AGRISNET scheme of Govt. of India. C2G, G2G and G2C sevices will be launched shortly.

xv) Particulars of facilities available to citizens for obtaining information.

Citizen Charter has already been prepared by the department and further circulated upto the Panchyat level-

नागरिक अधिकार पत्र

पशुधन सेवा-हमारा संकल्प

हमारा ध्येय

हिमाचल प्रदेश, पशुपालन विभाग प्रदेश के पशुपालकों के सर्वांगीण विकास हेतु पूर्णरूप से समर्पित है। पशुपालकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विभाग, पशुधन स्वास्थ्य, रोग-अन्वेषण, रोग उपचार, चारा विकास, प्रजनन व पशु विकास, वैज्ञानिक ढंग से पशुधन प्रबन्धन एवं लुप्त हो रही देसी नस्ल की प्रजातियों के संरक्षण आदि कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। पशुधन संवर्धन के माध्यम से प्रत्येक पशुपालक को स्वाबलम्बी बनाने और वर्ष भर निरन्तर आय व पौष्टिक आहार की प्राप्ति हेतु प्रयासरत है।

वर्ष 1948 में, जब हिमाचल प्रदेश बना, प्रदेश में केवल 9 पशु चिकित्सा संस्थान थे। आज विभाग कुल 2210 पशु संस्थानों के माध्यम से पशुधन के विकास हेतु सेवायें प्रदान कर रहा है।

पशुपालन विभाग का स्वरूप व गतिविधियां

<u>क्रम संख्या</u>	<u>संस्थान का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>संक्षिप्त कार्य का विवरण</u>
<i>क: पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं</i>			
1	राज्य पशु चिकित्सालय	1	यह संस्थान राजधानी शिमला में स्थित है। इसमें उच्च स्तरीय नैदानिक व विशेषज्ञ सुविधायें उपलब्ध हैं। मुख्यतः छोटे पशुओं के ईलाज के अतिरिक्त उच्च स्तर की रोग अन्वेषण सेवायें प्रदान की जाती हैं।
2	पॉलीक्लीनिक	9	इन संस्थानों में पशु शल्य चिकित्सा, मैडीसीन, पैथोलोजिस्ट व गायनीकोलाजिस्ट की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

3	उप-मण्डलीय पशु चिकित्सालय	48	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान तथा अपने उप-मण्डल में कार्यरत संस्थानों का निरीक्षण व नियंत्रण।
4	पशु चिकित्सालय	284	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
5	केन्द्रीय पशु औषधालय	30	रोग उपचार, रोग निरोधन, कृत्रिम गर्भाधान, चारा विकास व विभाग द्वारा संचालित पशुधन विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
6	पशु औषधालय	1769	प्राथमिक पशु उपचार, कृत्रिम गर्भाधान, रोग निरोधन, बधियाकरण व पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में अन्य विभागीय कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
पशु चिकित्सा संस्थानों की कार्य समयावधि			
प्रत्येक कार्य दिवस: राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर 9:30 पूर्वाह्न से 1:30 अपराह्न तक तथा 2:00 से 4:00 अपराह्न तक। आपातकालीन सेवायें हर समय उपलब्ध होती हैं।			

ख: पशु प्रजनन कार्यक्रम			
<u>क्रम संख्या</u>	<u>संस्थान का नाम</u>	<u>संख्या</u>	<u>संक्षिप्त कार्य का विवरण</u>
1	स्पर्म स्टेशन पालमपुर व अडुवाल (सोलन) (आई0 एस0 ओ0 प्रमाणित)	2	उच्च गुणवत्ता के सांडों के वीर्य तृणों का गुणवत्ता नियन्त्रयुक्त उत्पादन तथा तृणों एवं तरल नत्रजन की नियमित आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करना।

2	वीर्य कोष चम्बा, सोलन (अडुवाल) ज्योरी, घणाहटी,पालमपुर,मण्डी तथा (ताल) हमीरपुर	7	ये संस्थान तरल नत्रजन व वीर्य तृणों की आपूर्ति विभिन्न पशु संस्थानों में सुनिश्चित करते हैं।
3	गोजातीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कोठीपुरा, पालमपुर व बागथन	3	प्रजनन कार्य हेतु वीर्य विधायन प्रयोगशालाओं को उत्तम सांडों की आपूर्ति करना, जर्सी व होलस्टीन गायों की प्रदेश की जलवायु के अनुरूप उत्पादन क्षमता का अध्ययन करना तथा पशुपालकों को उन्नत डेयरी पालन का प्रशिक्षण व प्रदर्शन प्रदान करना।
ग: रोग अन्वेषण सेवाएं			
1	रोगव्यापिकीविद प्रयोगशाला :: शिमला::	1	विभिन्न रोगों का सर्वेक्षण करना, मुंह खुर रोगों के नमूनों की जांच करना।
2	रोग अन्वेषण प्रयोगशाला :: शिमला व मण्डी	2	ये प्रयोगशालायें प्रदेश में पशु रोगों के निदान का कार्य आधुनिकतम तकनीकों द्वारा प्रदान कर रही है।
घ: भेड़ व खरगोश पालन			
1	भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र/मेंढा केन्द्र ज्योरी, काकस्थल (किन्नौर), ताल (हमीरपुर) चम्बा व नगवाई (मण्डी)	5	मुख्य उद्देश्य उत्तम विदेशी नस्ल के मेंढों की प्रजनन हेतु आपूर्ति भेड़ पालकों को करना।
2	भेड़ व ऊन विस्तार केन्द्र	9	दूर दराज क्षेत्रों में भेड़ पालकों को प्रजनन हेतु उत्तम नस्ल के मेंढे उपलब्ध करवाना।

3	खरगोश प्रजनन प्रक्षेत्र नगवाई (मण्डी) व कंढवाड़ी (पालमपुर)	2	मुख्य उद्देश्य उत्तम अंगोरा नस्ल के खरगोशों का प्रजनन, खरगोश पालकों को प्रशिक्षण तथा उपलब्धता अनुसार उन्हें अंगोरा खरगोशों की आपूर्ति करना।
4	ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला :: ज्योरी, ताल (हमीरपुर) चम्बा ::	3	इन प्रयोगशालाओं में ऊन की गुणवत्ता के विश्लेषण हेतु सुविधा उपलब्ध है।
ड0: कुक्कुट पालन			
1	कुक्कुट प्रक्षेत्र :: सुन्दरनगर, नाहन, कमलाही (शिमला), जलगां (ऊना), पालमपुर	5	इन फार्मों में उच्चकोटि के ब्रायलर एवं एग्गर के पेरेंट स्टॉक के अण्डों को हैच/पोषण कर कुक्कुट पालकों को एक से तीन सप्ताह के चूजों की आपूर्ति की जाती है तथा कुक्कुट पालकों को कुक्कुट सम्बन्धी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
2	कुक्कुट विस्तार केन्द्र भवारना, पीओ, टापरी, चौतडा, मण्डी, पांवटा व सोलन व सरोल (चम्बा)।	8	इन संस्थानों में उच्च नस्ल के चूजों, ब्रायलर एवं एग्गर का पालन व वितरण किया जाता है।
घ:	घोडा प्रजनन एवं याक प्रजनन प्रक्षेत्र लरी (स्पति)	1	चामूर्थी नस्ल के घोड़ों तथा याकों का प्रजनन एवं संरक्षण करना।
छ	प्रशिक्षण केन्द्र चम्बा व बिलासपुर	2	इन केन्द्रों में पशुपालकों एवं विभागीय फार्मासिस्टों के लिए नवीनतम जानकारी व प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

विभागीय शुल्क दरें:

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान दरें निम्नलिखित हैं:-

1. पर्ची शुल्क: क: पशु 1 रू. प्रति पशु
ख: कुक्कुट 1रू. प्रति 10 पक्षी
(उसके उपरांत 5 पैसे प्रति पक्षी)
2. बधियाकरण शुल्क: सांड – 1 रू. प्रति
बकरा / मेंढा 1रू. प्रति
घोड़ा – 10 रू. प्रति
कुत्ता – 5 रू. प्रति
3. कृत्रिम गर्भाधान शुल्क:
जर्सी/होलस्टेन फ्रीजियन – 25 रू. प्रति गाय
साहीवाल/रैड सिंधी/हिल्ली –10 रू. प्रति गाय
संकर नस्ल – 20 रू. प्रति गाय
भैंस – 25 रू. प्रति भैंस
आयातित वीर्य –165 रू. प्रति गाय
4. आगमन शुल्क: (केवल पशु औषधियोजकों/ पशुपालन सहायकों /मुख्य पशु औषधियोजकों के लिए)

पशुपालकों के घर-द्वार पर उपचार एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध करवाने पर सरकार द्वारा निम्न आगमन शुल्क की दरें पशु औषधियोजकों/पशुपालन सहायकों के लिए निर्धारित की गई हैं:-

पशु चिकित्सा संस्थान से दूरी	पशु औषधियोजक	पशुपालन सहायक व मुख्य पशु औषधियोजक
(i) 3 कि०मी० तक	30 रू.	35 रू.
(ii) 3 कि०मी० से अधिक	35 रू.	40 रू.

टिप्पणी:- पशु चिकित्सा अधिकारियों को पशुपालकों द्वारा आगमन शुल्क देय नहीं है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस निषेध भत्ता (एन०पी०ए०) सरकार द्वारा दिया जाता है।

5. रोग-निरोधक टीकाकरण शुल्क

क्रम संख्या	रोग निरोधक टीके का नाम	शुल्क
1	मुंह व खुर	निःशुल्क
2	ए0आर0वी0 कुत्तों के बचाव के लिए	पूरी कीमत पर
3	गलघोटू	निःशुल्क
4	लंगडा बुखार	निःशुल्क
5	पी0पी0आर0 रोग	निःशुल्क

टिप्पणी:- पशुओं को पागल कुत्ते के काटने पर उपचार हेतु ए0आर0वी0 टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है।
केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं

पशुपालन विभाग (हि0प्र0) निम्न प्रायोजित परियोजनाओं को भी कार्यान्वित कर रहा है:-

1. गाय व भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार करने हेतु पशुपालकों को उनके घर द्वार पर उत्तम गुणवत्ता की प्रजनन सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक प्रजनन योग्य गाय/भैंसों को हिमिकृत वीर्य तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। जहां कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध करवाना असम्भव है वहां प्राकृतिक गर्भाधान हेतु उत्तम नस्ल के सांड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

2. केन्द्रीय दुधारू पशु बीमा योजना

यह योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 से जिला मण्डी व कांगडा के दुधारू पशुओं के बीमा करवाने हेतु आरम्भ की गई है तथा वर्ष 2008-09 से जिला हमीरपुर, चम्बा व शिमला भी इस योजना में सम्मिलित कर दिये गए हैं। इस योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं के बीमा प्रीमियम की राशी का 50 प्रतिशत भाग केन्द्र वहन करती है तथा बाकि राशी पशु पालक द्वारा दी जाती है।

3. दूध गंगा योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत पशु पालकों/स्वयं सहायता समूहों को अच्छी नस्ल के दुधारू पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करके अधिक दुग्ध उत्पादन द्वारा स्वरोजगार सृजित करना है। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा स्वयं सहायता समूह/पशु पालक द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में देय है व शेष 90 प्रतिशत बैंक द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है तथा इस ऋण पर सामान्य श्रेणी के पशु पालकों को 25 प्रतिशत तथा सूचित/अनुसूचित जनजाति के पशु पालकों को 33 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।

4 एकीकृत दुग्ध विकास परियोजनाएं

विभिन्न उत्तम पशु प्रबन्धन तकनीकों द्वारा अधिक दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उन्नति लाने हेतु प्रदेश के पांच जिलों (सोलन, मण्डी, हमीरपुर, चम्बा एवं कांगड़ा) में यह परियोजनाएं विभाग द्वारा डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में 75 : 25 के अनुपात से केन्द्र सरकार पशु पालकों को अनुदान उपलब्ध करवा रही है।

5 एकीकृत ऊन सुधार परियोजना

भेड़ पालकों की गद्दी नस्ल के भेड़ों की नस्ल तथा ऊन में सुधार के लिए यह परियोजना प्रदेश के जिला चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, मण्डी व कुल्लू में हिमाचल प्रदेश ऊन प्रसंग के माध्यम से विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत पोषित इस परियोजना में भेड़ पालकों को उत्तम नस्ल के मेंढे, आवश्यक दवाईयां तथा ऊन विपणन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

6.केन्द्रीय भेड़ पालक बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत भेड़ पालकों से 330/-रूपये की प्रीमियम राशी में से केवल 80/- रूपये लेकर उनका प्राकृतिक तथा दुर्घटना कारणवश मृत्यु/विकलांगता के लिए बीमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त बीमाकृत भेड़ पालक के नौवीं से बाहरवीं तक की कक्षाओं में पढने वाले दो बच्चों को 100/- प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

7. राष्ट्रीय पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना

केन्द्रीय प्रायोजित पशु प्लेग (महामारी) उन्मूलन परियोजना विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है!

8. पशु रोगों के नियन्त्रण के लिए प्रदेशों को सहायता योजना (एसकैड)

इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों (मुंह-खुर रोग, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, पी0पी0आर0 रोग, रेबीज आदि) के टीकाकरण, नियन्त्रण एवं निगरानी का कार्य पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है।

विस्तार सेवाएं

पशुपालन विभाग, हिमाचल प्रदेश, पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु प्रशिक्षण शिविरों , पशु-प्रदर्शनी और पशु-मेलों का आयोजन करता है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के माध्यम से पशुपालन सम्बन्धी नवीनतम जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त विभागीय प्रक्षेत्रों में पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है।

परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

निदेशक, पशुपालन के नेतृत्व में संयुक्त निदेशकों, उप-निदेशकों व सहायक निदेशकों के माध्यम से विभागीय गतिविधियों/ योजनाओं का कार्यान्वयन, परिवीक्षण व मूल्यांकन किया जाता है।

शिकायत सूचना प्रबन्धकीय प्रणाली (एम0 आई0 एस0)

पशु पालन विभाग की सेवायें पूर्णरूप से नागरिकों की अपेक्षा के अनुरूप हो सकें तथा सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है। इस हेतु पशु पालक अपने सुझावों/शिकायतों के लिए विभिन्न स्तरों पर निम्नलिखित अधिकारियों से सम्पर्क करें –

1	उप-मण्डलीय स्तर पर	सम्बन्धित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी
2	जिला स्तर पर	सम्बन्धित जिले में कार्यरत उप-निदेशक (पशु स्वास्थ्य / प्रजनन) तथा उप मण्डल पालमपुर, भरमौर, काजा तथा पांगी में कार्यरत सम्बन्धित सहायक निदेशक सेम्पर्क करें ।
3	मण्डल स्तर पर <u>दक्षिणी क्षेत्र</u> (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर बिलासपुर व रुना जिले तथा स्पिति उप मण्डल) <u>उत्तरी क्षेत्र</u> (कांगडा, हमीरपुर, चम्बा, मण्डी, कुल्लु, लाहौल जिला तथा पांगी उप मण्डल)	संयुक्त निदेशक, एस0एल0बी0पी0, निदेशालय, पशु पालन विभाग शिमला-171005, हि0 प्र0 फैक्स / दूरभाष 0177- 2830163 संयुक्त निदेशक, पशु पालन पालमपुर । दूरभाष-01894-230529
4	निदेशालय स्तर पर	निदेशक, पशु पालन विभाग, हि0 प्र0 दूरभाष / फैक्स-0177-2830089 / 0177-2830167

विभिन्न स्तरों पर शिकायतों के निवारण हेतु निर्धारित अवधि इस प्रकार है :-

कार्यालय स्तर	शिकायत का प्रकार	शिकायत निवारण के लिए अधिकतम समय
प्रत्येक जिले में कार्यरत उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य प्रजनन और पांगी भरमौर व काजा में कार्यरत सहायक निदेशक	1 दवाइयों की कमी	एक सप्ताह
	2 उपकरणों की कमी	एक माह
	3 बिमारियों की रोकथाम व नियन्त्रण उपाय	दो दिन
	4 बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण	एक माह
	5 स्टाफ की अनुपस्थिति बारे	दो सप्ताह
	6 बीमार पशुओं के इलाज बारे	दो सप्ताह
	7 जिले में कृत्रिम गर्भाधान पदार्थों की अनोपलब्धता बारे	एक सप्ताह
	8 स्टाफ द्वारा अनुचित इलाज करने बारे	दो दिन
	9 रिपीट ब्रिडींग समस्या बारे	एक माह
	10 मृत्यु एवं शव परीक्षण प्रमाण पत्र प्रदान न करने बारे	एक सप्ताह
	11 बीमा देय राशि सहायता न करना	
	12 स्टाफ द्वारा की जा रही अनियमितताओं बारे	एक माह
	13 रिक्त स्थान पर स्टाफ उपलब्ध करवाने हेतु	एक माह
	14 कैम्पो के आयोजन बारे	एक माह
	15 चारा, बीज, जडे, पौधों को उपलब्ध करवाने हेतु	एक माह
	16 जंहा कृत्रिम गर्भाधान सुविधा उपलब्ध नहीं वंहा प्रजनन हेतु सांड एवं मेंडे उपलब्ध करवाने बारे	एक माह
	17 कर्मचारियों की शिकायतें	एक माह
संयुक्त निदेशक	1 जिला स्तर पर उपरोक्त शिकायतों	दो सप्ताह

	पर कार्यवाही न करने बारे 2 महामारी के नियन्त्रण बारे शिकायतें 3 मण्डल में विभिन्न बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण बारे 4 मण्डल में कैम्पो के आयोजन हेतु टीमों का गठन करने बारे 5 खाली पड़े पदों पर स्थानीय प्रबन्ध करने हेतु	दो दिन एक माह एक माह एक माह
निदेशक	1 शिकायतें जिनकी सुनवाई जिला व मण्डल स्तर पर नहीं हुई 2 स्टाफ की रिक्तियों बारे 3 फरनीचर, उपकरण, दवाईयों बारे 4 स्टाफ के कारण उत्पन्न हुई समस्त शिकायतें 5 स्टाफ की व्यथा	दो सप्ताह एक माह एक माह एक माह एक माह

शिकायत निवारण हेतु प्रमुख अधिकारियों के पते व दूरभाष नम्बर

क्रम संख्या	पद	पता	दूरभाष न0	ई0मेल
1	निदेशक	पशुधन भवन, बालुगंज, शिमला-5	0177-2830089	dir-ah-hp @nic.in
2	संयुक्त निदेशक मुख्यालय	उपरोक्त	0177-2830167	Jdhqah-hp @yahoo.co.in
3	संयुक्त निदेशक एस0एल0बी0पी0	उपरोक्त	0177-2830163	
4	संयुक्त निदेशक पालमपुर	पालमपुर	01894-230529	
5	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला बिलासपुर	बिलासपुर	01978-222594	Ddahblp @yahoo.co.in

6	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला चम्बा	चम्बा	01899-222317	ddahbchamba@gm
7	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला हमीरपुर	हमीरपुर	01972-222476	ddah-hmr@yahoo.co.in
8	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कांगडा	स्थित धर्मशाला	01892-222061	ddahb-kan-hp@.nic.in
9	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला किन्नौर	रिकांगपिओ	01786-222570	
10	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला कुल्लु	कुल्लु	01902-222553	ddah-kul-hp@nic.in
11	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला लाहोल स्पिति	केलांग	01900-222249	ddah-lah-hp@nic.in
12	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला मण्डी	मण्डी	01905-223077	ddahmnd@yahoo.co.in
13	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला शिमला	पशुधन भवन, बालुगंज, शिमला-5	0177-2832156	
14	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सिरमौर	नाहन	01702-222303	Vetysmr-hp@nic.in
15	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला सोलन	सोलन	01792-223593	ddofficesolan@gmail.com
16	उप निदेशक, पशु स्वास्थ्य व प्रजनन जिला ऊना	ऊना	01975-226017	ddahb-una-@nic.in

17	सहायक निदेशक, भेड़ विकास	भरमौर	01895-225048	
18	सहायक निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन	पांगी	01897-222226	
19	सहायक निदेशक, पशु उत्पादन	पालमपुर	01894-230467	
20	सहायक निदेशक, पशु स्वास्थ्य/प्रजनन	काजा	01906-222272	

पशु पालन हैल्पलाइन :- निदेशालय स्तर पर स्थापित पशु पालन हैल्पलाइन 1800-180-8006 (टोल फ्री) नम्बर पर भी पशु पालक अपनी समस्याओं एवं शिकायतों का समाधान कर सकते हैं।

RIGHT TO INFORMATION ACT-2005

INFORMATION

IN

RESPECT OF ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

UNDER SUB-CLAUSE(II)

OF SECTION 4(1)(b) OF THE RTI ACT,2005.

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.

Details of Proposed PIO, APIOs and Appellate Authority: (as on 1.5.2009)

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
A) Name of Public Information Officer	Deputy Director (AP) Hqrs.	Directorate of Animal Husbandry, H.P.Shimla-5	0177-2830594	dir-ah-hp@nic.in	Whole of the Department
B) Name of the Assistant Public Information Officer (APIO)	Assistant Director (Extn.) Hqrs	Directorate of Animal Husbandry, H.P.Shimla-5	0177-2830163 (PP)	Jdhqah-hp@yahoo.co.in	In respect of Directorate

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	SHIMLA				
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Shimla	0177-2832156	Ddah-sml-hp@nic.in	Whole of the Shimla District

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Shimla	0177-2832156	-	At the District Headquarters Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital Shimla	0177-2814803	-	Sub-Division, Shimla
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Theog	01783-238226	-	Sub-Division, Theog
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Chopal	260047	-	Sub-Division, Chopal
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Dodra Kwar	-	-	Sub-Division, Dodra Kwar
	Senior most Specialist in Veterinary Polyclinic Rampur	Veterinary Polyclinic Rampur	01782-233088	-	Sub-Division, Rampur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Rohru	01781-240033	-	Sub-Division, Rohru
BILASPUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Bilaspur	01978-222594	ddah-blp-hp@nic.in	Whole of the Bilaspur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Bilaspur	01978-222594	-	At the District Headquarters Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Bilaspur	01978-222202	-	Sub-Division, Bilaspur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Ghumarwin	01978-255291	-	Sub-Division, Ghumarwin
CHAMBA					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	01899-222317	- ddahbchamba@gmail.com	Whole of the Chamba District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	01899-222317	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	O/O Dy. Director (AH/B), Chamba	01899-222317	-	Sub-Division, Chamba
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dalhausie	01899-242197	-	Sub-Division, Dalhausie
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Chowari	01899-266659	-	Sub-Division, Chowari
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Tissa	01896-227533	-	Sub-Division, Tissa

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Salooni	01899-266659	-	Sub-Division, Salooni
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Bharmour	01895-225157	-	Sub-Division, Bharmour
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Killar	01897-222226	-	Sub-Division, Pangi
HAMIRPUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Hamirpur	01972-222476	ddah-hmr@yahoo.co.in	Whole of the Hamirpur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Hamirpur	01972-222476	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Hamirpur	01972-222304	-	Sub-Division, Hamirpur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Barsar	01972-288077	-	Sub-Division, Barsar
	Sr. Vety. Officer	Sud-Divisional Vety. Hospital, Nadaun	01972-232321	-	Sub-Division, Nadaun
KANGRA					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kangra	01892-222061	ddahb-kanhp@.nic.in	Whole of the Kangra District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Kangra at Dharamshala	01892-222061	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director	Vety. Hospital, Nurpur	01893 -220059	-	Sub-Division, Nurpur
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dharamshala	01892-222012	-	Sub-Division, Dharamshala
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kangra	01892-265095	-	Sub-Division, Kangra
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Dehra Gopipur	01970-233196	-	Sub-Division, Dehra
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital, Jawali	01893 -262258	-	Sub-Division, Jawali
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Palampur	01894-230129	-	Sub-Division, Palampur

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital Paprola	01894-243707	-	Sub-Division Bajjnath (Paprola)
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Lamba Gaon	-	-	Sub-Division, Jaisingpur (Lamba Gaon)
KINNAUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kinnaur	01786-222729	-	Whole of the Kinnaur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), R. Peo (Kinnaur)	01786-222729	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Nichar	01786-252264	-	Sub-Division, Nichar
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Pooh	01785-232323	-	Sub-Division, Pooh
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital Peo	01786-222729	-	Sub-Division Peo
KULLU					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu	01902-222553	ddah-kul-hp@nic.in	Whole of the Kullu District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Kullu	01902-222553	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kullu	01902-223833	-	Sub-Division, Kullu
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Ani	01904-253992	-	Sub-Division, Ani
	Sr.Vety. Officer	Vety. Hospital, Manali	01902-252380	-	Sub-Division, Manali
	Vety. Officer	Vety. Hospital, Banjar	01903-222240	-	Sub-Division, Banjar
LAHAUL & SPITI					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Keylong	01900-222249	ddah-lah-hp@nic.in	Whole of the Kullu District
	Assistant Director(AH/B)	Assistant Director(AH/B), Kaza (Spiti)	01906-222272	-	Sub-Division, Kaza (Hqrs.)
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Keylong	01906-222249 (PP)	-	Sub-Division, Keylong
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Udaipur	-	-	Sub-Division, Udaipur

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kaza	-	-	Sub-Division, Kaza
MANDI					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi	01905-223077	ddahmnd@yahoo.co.in	Whole of the Mandi District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Mandi	01905-223077	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Mandi	01905-224348	-	Sub-Division, Mandi
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Karsog	01907-221275	-	Sub-Division, Karsog
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Gohar	01907-250272	-	Sub-Division, Gohar
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Sarkaghat	01905-230040	-	Sub-Division, Sarkaghat
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Joginder Nagar	01908-222025	-	Sub-Division, Joginder Nagar
	Assistant Director	Vety. Hospital, Sunder Nagar	01907-267685	-	Sub-Division, Sunder Nagar
SIRMAUR					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur	01702-222303	Vetysmrhp@nic.in	Whole of the Sirmaur District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur	01702-222303	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	O/O Dy. Director (AH/B), Sirmaur-Nahan	01702-222256	-	Sub-Division, Nahan
	Assistant Director	Vety. Hospital, Paonta	01704-222386	-	Sub-Division, Paonta
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Rajgarh	01799-221135	-	Sub-Division, Rajgarh
SOLAN					
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Solan	01792-223593	ddofficesolan@gmail.com	Whole of the Solan District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Solan	01792-223593	-	At the District Headquarter Level
	Assistant Director (Projects)	Vety. Hospital, Solan	01792-223593	-	Sub-Division, Solan
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Kandaghat	01792-256250	-	Sub-Division, Kandaghat
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Nalagarh	01795-222611	-	Sub-Division, Nalagarh

	Designation	Complete Office Address	Office Telephone No.	E-mail	Jurisdiction/ Units under his control for which he will rendering information to applicants
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Arki	01796-220543	-	Sub-Division, Arki
	UNA				
	Dy. Director (AH/B)	O/O Dy. Director (AH/B), Una	01975-226017	ddahb-una-@nic.in	Whole of the Una District
	Assistant Director (Extn.)	O/O Dy. Director (AH/B), Una	01975-226017	-	At the District Headquarter Level
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Una	01975-228286	-	Sub-Division, Una
	Sr. Vety. Officer	Vety. Hospital, Amb	01976-261686	-	Sub-Division, Amb
C) Name of the Appellate Authority	Director Animal Husbandry, H.P.	Directorate of Animal Husbandry, H.P., Pashudhan Bhavan, Shimla-5 Boileauganj,	0177-2830089	Dir-ah-hp@nic.in	Whole of the

Annual Report in pursuance of section 4 (1)(b)of the Right to Information Act:-

1. Total 348 requests under RTI Act, 2005 for the period from 1-4-2015 to 31-3-2016 (BPL families=14) received in the Deptt. Which have been disposed off. An amount of Rs. 11,840/- has been collected by the Deptt.
2. Thirteen (13) appeals were filed with appellate authority. Which have been disposed off.
- 3 No appeal / complainst was made with the State Chief Information Commissioner pertaining to the Department of Animal Husbandry Himachal Pradesh during the year 2015-16.

DRAFT ANNUAL PLAN 2016-17

GN-II

DEMAND NO./HEAD OF ACCOUNT/HEAD OF DEV./SCHEME WISE OUTLAY AND EXPENDITURE

(RS. IN LAKH)

D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	2403-00-001	Direction and Administration	109.00	9.70	13.00	13.00	11.00
14	2403-00-001-01-SOON	Head quarter establishment	79.00	8.71	11.00	11.00	10.00
14	2403-00-001-02-SOON	Exp. on Regional Establishment	30.00	0.99	2.00	2.00	1.00
14	2403-00-101	Veterinay Services and Animal Health	4162.00	797.85	547.00	729.37	1158.85
14	2403-00-101-01-SOON	Exp. on Hospitals and Dispensaries	3912.00	753.25	505.00	505.00	955.93
14	2403-00-101-10-S50N	Assistance to control of Animal Disease.	250.00	44.60	42.00	224.37	182.38
14	2403-00-101-12-S50N	Brucellosis Control Programme	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
14	2403-00-101-13-S50N	Peste Des Petits Ruminants	0.00	0.00	0.00	10.00	12.58
14	2403-00-102	Cattle and Buffalo Development	1075.00	130.01	134.00	134.00	50.01
14	2403-00-102-02-SOON	Cattle Breeding Farm Schemes.	100.00	8.92	10.00	10.00	10.00
14	2403-00-102-06-SOON	Establishment of Semen Laboratories.	400.00	25.89	35.00	35.00	30.00
14	2403-00-102-14-SOON	Registration of Cattle.	25.00	50.00	50.00	50.00	5.00
14	2403-00-102-15-SOON	Exp. on Animal Welfare Board.	550.00	45.20	39.00	39.00	5.00
14	2403-00-800-02-S50N	National Livestock Mission (NLM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
14	2403-00-103	Poultry Development,	201.00	8.85	10.00	9.99	8.99
14	2403-00-103-02-SOON	Central and District Poultry Farms.	200.00	8.85	9.99	9.99	8.98

(Rs. In Lakh)							
D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	2403-00-103-08-S20N	Development of Backyard Poultry Farming.	1.00	0.00	0.01	0.00	0.01
14	2403-00-104	Sheep and Wool Development.	400.00	50.95	40.00	40.00	50.00
14	2403-00-104-04-SOON	Exp. on Existing sheep Breeding Farm centres	400.00	50.95	40.00	40.00	50.00
14	2403-00-106	Other Livestock Development.	25.00	4.00	4.00	1009.40	10.00
14	2403-00-106-01-SOON	Horse and Mule Breeding Scheme.	15.00	2.50	2.50	2.50	3.00
14	2403-00-106-02-SOON	Rabbit Breeding Scheme	10.00	1.50	1.50	6.90	2.00
14	2403-00-106-07-SOON	Govansh Samvardhan Board	0.00	0.00	0.00	1000.00	5.00
14	2403-00-107	Fodder and Feed Development.	250.00	10.00	0.00	0.00	0.00
14	2403-00-107-01-SOON	Development of Fodder & Feed	250.00	10.00	0.00	0.00	0.00
14	2403-00-109	Extension and Training	60.00	10.00	10.00	10.00	10.00
14	2403-00-109-02-S50N	GIA to Veterinary Council.	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00
14	2403-00-109-03-SOON	GIA to Para Veterinary Council.	30.00	5.00	5.00	5.00	5.00
14	2403-00-113	Administration investigation and Statistics.	250.00	55.86	55.00	55.00	55.00
14	2403-00-113-01-S50N	Statistical Unit.	250.00	55.86	55.00	55.00	55.00
14	2403-00-800--01	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	4620.00	1879.58	1645.00	1645.00	1349.00
14	2403-00-800--01-C90N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	4620.00	1879.58	1645.00	822.50	1214.00
14	2403-00-800--01-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00	0.00	0.00	822.50	135.00

(Rs. In Lakh)							
D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	4403-00-101	Capital Outlay on Animal Husbandry.	1404.00	379.99	329.00	328.99	245.15
14	4403-00-101-01-S50N	Establishment & Strengthening of existing Veterinary Hospital & Dispensaries (ESVHD)	0.00	167.00	0.01	0.00	0.01
14	4403-00-101-01-SOON	Buildings	1404.00	212.99	328.99	328.99	245.14
Total:-			12556.00	3336.79	2787.00	3974.75	2948.00
Backward Area Sub-Plan							
15	2403-00-101-01-SOOB	Hospitals and Dispensaries.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	4403-00-101	Capital Outlay on Animal Husbandry.	67.00	22.58	15.00	15.00	20.00
15	4403-00-101-01-SOOB	Buildings	67.00	22.58	15.00	15.00	20.00
Total:-			67.00	22.58	15.00	15.00	20.00
Tribal Sub-Plan							
31	2403-00-796-01-SOON	Exp. on District Administration,	140.00	15.64	17.00	19.60	18.95
31	2403-00-796-02-SOON	Exp. on Hospitals and Dispensaries.	1040.00	144.98	147.05	142.70	164.97
31	2403-00-796-03-SOON	Exp. on Poultry Development.	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2403-00-796-04-SOON	Exp. on Sheep and Wool Development.	339.00	44.69	50.00	51.00	42.08
31	2403-00-796-05-AOOS	Exp. on Vety. Prog. (under Special Central Assistance)	700.00	120.91	110.95	113.45	111.00
31	2403-00-796-05-SOON	Exp. on Registration of Cattle	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2403-00-796-07-AOOS	Exp. on Vety. Programme under SCA for STs residing out side Tribal Area.	200.00	69.26	60.00	60.00	60.00
31	2403-00-796-12-S50N	Assistance to States for Control of Animal Diseases (ASCAD)	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00

(Rs. In Lakh)

D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	4403-00-796-01-AOOS	Exp. on VD Building in non Tribal Area.	15.00	11.00	10.00	10.00	5.00
31	2403-00-796-08-AOOS	Exp. on Vety. Prog.under SCA for Tribal Pockets (Chamba and Bhatiyat)	100.00	10.50	15.00	15.00	15.00
31	2403-00-796-800-10-C90N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY).	630.00	256.99	225.00	112.50	166.00
31	2403-00-796-800-10-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY).	0.00	0.00	0.00	112.50	18.00
31	2403-00-796-13-SOON	Animal Welfare Board	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
31	4403-00-796-01-SOON-	Building Programme.	235.00	19.92	45.00	41.51	48.00
		Total:-	3450.00	693.89	691.00	683.26	649.00
Scheduled Caste Sub-Plan							
32	2403-00-789-02-SOON	Vety. Services and Animal Health Hospitals & Disp.	1508.00	224.17	230.00	230.00	232.00
32	2403-00-789-03-SOON	Cattle and Buffalo Development	40.00	2.99	3.00	3.00	3.00
32	2403-00-789-03-AOON	Special Central Assistance	0.00	25.00	30.00	30.00	30.00
32	2403-00-789-04-SOON	Establishment of Semen Laboratories.	240.00	17.90	18.00	18.00	18.00
32	2403-00-789-05-SOON	Central and District Poultry Farms.	125.00	12.99	16.00	16.00	13.00
32	2403-00-789-05-AOON	Special Central Assistance	0.00	59.99	70.00	0.00	70.00
32	2403-00-789-06-SOON	Sheep Breeding Farm Centres.	150.00	24.94	27.00	27.00	24.00
32	2403-00-789-08-SOON	Feed and Fodder Development.	214.00	1.79	0.00	0.00	0.00
32	2403-00-789-10-SOON	Registration of Cattle	20.00	4.00	4.00	4.00	2.00

(Rs. In Lakh)							
D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	2403-00-789-11-S50N	Assistance to States for Control of Animal Disesesas	0.00	19.99	16.00	56.09	49.00
32	2403-00-789-14-S50N	GIA to Veterinary Council	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
32	2403-00-789-09-C90N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	1750.00	718.85	630.00	315.00	465.00
32	2403-00-789-09-S10N	Rashtriya Krishi Vikas Yojna (RKVY)	0.00	0.00	0.00	315.00	52.00
32	2403-00-789-16-S50N	Peste Des Petits Ruminants Control Programme	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
32	2403-00-789-17-S00N	Brucellosis Control Programme	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
32	2403-00-789-19-S00N	Animal Welfare Board	0.00	0.00	15.00	15.00	20.00
32	2403-00-789-15-S50N	National Livestock Mission	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
32	4403-00-789-02-SOON	Building (Veterinary Services & Animal Health).	453.00	91.80	126.00	126.00	150.00
Total:-			4500.00	1206.41	1187.00	1157.09	1137.00
GRAND TOTAL ANIMAL HUSBANDRY:-			20573.00	5259.67	4680.00	5830.10	4754.00
14	2404-00-001-01-SOON	Headquarter Establishment.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2404-00-109-01-SOON	Dairy Development Training Centre.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2404-00-191-02-SOON	GIA to H.P. Milkfedreration.	0.00	921.00	987.00	987.00	1051.00
14	2404-00-191-04-SOON	Grant to Dairy Cooperative Societies	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
Total:-			0.00	921.00	987.00	1287.00	1051.00

(Rs. In Lakh)							
D. No.	MajorSub-Major/Minor/Sub-Minor Code	Sec./Head of Dev./ Scheme	Twelfth Five Year Plan (2012-2017) Approved Outlay (At 2006-07 prices)	Annual Plan (2014-15) Actual Exp.	Annual Plan (2015-16)		Approved outlay for Annual Plan 2016-17
					Approved Outlay	Anticipated Expenditure	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	2404-00-191-02-SOON	GIA to H.P. Milkfedration.	250.00	352.98	378.00	378.00	403.00
		Total:-	250.00	352.98	378.00	378.00	403.00
31	2404-00-191-02-SOON	GIA to H. P. Milkfedration.	0.00	126.00	135.00	135.00	144.00
		Total:	0.00	126.00	135.00	135.00	144.00
GRAND TOTAL DAIRY DEVELOPMENT			250.00	1399.98	1500.00	1800.00	1598.00
31	2415-01-796-04-SOON	GIA tio H. P. Agriculture University.	100.00	22.00	22.00	22.00	23.00
		Total:	100.00	22.00	22.00	22.00	23.00


 आनंद शर्मा
 आदिप्रसाहित
 Rural Dev./PR & Animal Husbandary
 Minister, Himachal Pradesh